

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1857 व 1858 / 2014.....

जिला.....

जयपुर.....

उन्वान-भै. कायाकल्प हर्बल्स ब्यूटी क्लनिंग एण्ड इन्स्टीट्यूट, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचन, जोन-तृतीय, जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
------------------------	---	--

खण्डपीठ

श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष
श्री सुनील शर्मा, सदस्य


12.11.2014


अपीलार्थी के ओर से श्री एस.के. जैन, अभिभाषक व एवं विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता श्री राम करण सिंह उपस्थित।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ये दोनों अपीले मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी-द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 15.10.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये हैं, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचन, जोन-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.08.2014, जो अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत निर्धारण वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के लिये पारित किये गये हैं, में विवादित मांग राशि रु. 13,16,488/- एवं रु. 18,44,941/- में से अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 8,07,662/- एवं रु. 11,75,122/- पर स्थगन प्रदान करते हुए अवशेष राशि रु. 5,08,826/- एवं रु. 6,69,819/- रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए उक्त मांग राशि की वसूली स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन के पश्चात यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2014 में अंकित नहीं किया गया है। लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत वसूली योग्य क्रमशः राशि रु. 5,08,826/- एवं रु. 6,69,819/- की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थगन हेतु आवेदित राशियों की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्पत्तावी समझा जावेगा साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

निर्णय सुनाया गया।


 (सुनील शर्मा)
 सदस्य


 (राकेश श्रीवास्तव)
 अध्यक्ष